सी/एम सेंट जॉन इंटर कॉलेज

बनाम

गिरधारी सिंह व अन्य

मार्च 30,2001

[जी.बी. पटनायक और डी.पी. महापात्रा, जे.जे.]

सेवा अधिनियम:

उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921: धारा 16 जी(3)(ए) और विनियम 44

माध्यमिक शिक्षा सेवाएँ-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कर्मचारियों की सेवाएँ-सेवा समाप्ति-सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति-प्रयोज्यता-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान ने सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अपने कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी- वैधता: धारा 16 जी(3)(ए) और विनियम समाप्ति आदेश के अनुमोदन या अस्वीकृति के मामले में शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं करते हैं - सक्षम प्राधिकारी की ऐसी अनियंत्रित शक्ति अल्पसंख्यक संस्थान की अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्ति में हस्तक्षेप के समान है-ऐसे प्रतिबंधात्मक प्रावधान *अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होते हैं - इसलिए, अल्पसंख्यक संस्थान के कर्मचारियों की सेवाओं के कार्यकाल के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है-शिक्षा-यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम, 1982, धारा 30-भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 30*

अपीलकर्ता, संविधान के अनुच्छेद 30 के दायरे में एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, ने उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया जो अपीलकर्ता के कर्मचारी थे। उत्तरदाताओं ने इस आधार पर अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की कि यू.पी.इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 जी (3) (ए) सपठित विनियम 44 के तहत आवश्यक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर लिया था इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 3 के तहत स्थापित यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को अनुमोदन की शक्ति प्रदान की गई थी कि 1982 अधिनियम की धारा 30 अल्पसंख्यक संस्थान पर उस अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट देती है और इसलिए, किसी भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी का प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होगा।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. सरकार के लिए संस्थानों की उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय करने में कोई बाधा नहीं होगी और इस तरह के उपाय किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 30 में दिए गए अपने संस्थानों को प्रशासित करने के अल्पसंख्यक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद, यदि तथाकथित विनियामक उपाय किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी को उस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशानिर्देश बताए बिना शक्ति प्रदान करते हैं, तो उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के संस्थानों के

प्रशासन के मामले में उनके अधिकारों में मनमाना हस्तक्षेप होगा। दूसरे शब्दों में, यदि शैक्षिक प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने वाला विनियामक प्रावधान असंबद्ध और अनिर्देशित है और ऐसे किसी दिशानिर्देश का संकेत नहीं देता है जिसके तहत शैक्षिक प्राधिकरण उक्त शक्ति का प्रयोग कर सके, तो ऐसे मामले में, शैक्षिक प्राधिकरण को एक व्यापक शक्ति प्रदान करना संस्थान के कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने के मामले में नियोक्ता-अल्पसंख्यक संस्थान के नियंत्रण के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा। [957-ई-जी]

1.2. इसलिए विनिर्णित किया गया, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 जी (3) (ए) में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के किसी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के आदेश को मंजूरी या अस्वीकार करने के मामले में निरीक्षक द्वारा पालन किए जाने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं मिलते हैं। [957-एच; 958-ए]

बिहार राज्य मदरसा बोर्ड बनाम मदरसा हनाफिया, एएम (1990) एससी 695; सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य, एआईआर (1974) एससी 1389; ऑल सेंट्स कॉलेज बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, एआईआर (1980) एससी 1042; फ्रैंक एंथोनी कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, एआईआर (1987) एससी 311; केरल शिक्षा विधेयक, 1957: [1959] एससीआर 995; सिधजभाई सहाय बनाम बॉम्बे राज्य, [1963] 3 एससीआर 837; केरल राज्य बनाम वेरी रेव. मदर प्रोविंशियल [1971] 1 एससीआर 734; सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य, [1975] 1 एससीआर 173; लिली कुरियन बनाम सीनियर लेविन, [1979] 1 एससीआर 820 और फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, [1987] 1 एससीआर 238, का उल्लेख किया गया है।

2. 1921 अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों का विनियम 44 केवल उस अवधि को निर्धारित करता है जिसके भीतर निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रबंधन को अपने निर्णय के बारे में सूचित करना आवश्यक है और इसके अलावा ऐसे मामले में जहां प्रबंधन से सभी कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं, उक्त निरीक्षक/निरीक्षिका प्रबंधन से कागजात मांग सकते हैं। लेकिन प्रबंधन द्वारा पारित सेवा समाप्ति के आदेश की मंजूरी या अस्वीकृति के मामले में शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए किसी भी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती है। चूंकि 1921 अधिनियम की धारा 16 जी(3)(ए) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कोई उचित दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि निरीक्षक या निरीक्षिका पर ऐसी अनियंत्रित शक्ति शक्ति में हस्तक्षेप के समान होगी। अल्पसंख्यक संस्थान की प्रबंध समिति का अपने कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण और इस प्रकार उक्त प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होगा। (958-बी-डी)

फ्रैंक एंथोनी कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, एआईआर (1987) एससी 311 और फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, (1987) 1 एससीआर 238, पर भरोसा किया गया।

3.1. यू.पी.माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 1921 अधिनियम की धारा 16 जी (3) (ए) के तहत शामिल पहले प्रावधान अपर्याप्त पाए गए थे, जहां प्रबंधन ने बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में अवनति की सजा देने का प्रस्ताव रखा। दूसरे शब्दों में, विधायिका ने सोचा कि प्रबंधन द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को मंजूरी या अस्वीकृति की शक्ति किसी निचले शैक्षिक प्राधिकारी के पास नहीं होनी

चाहिए, जैसे कि जिला विद्यालय निरीक्षक को एक स्वतंत्र आयोग या बोर्ड के पास निहित होना चाहिए जो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करें। (958-एफ-जी]

3.2. किसी अल्पसंख्यक संस्थान के कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश की मंजूरी या अस्वीकृति की शक्ति निरीक्षक/निरीक्षका को और अन्य सभी संस्थानों को सेवा चयन बोर्ड को देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। 1982 के अधिनियम के तहत चयन बोर्ड को अनुमोदन/अस्वीकृति की शक्ति प्रदान करने के बाद, विधायिका ने धारा 30 जोड़कर इसे स्पष्ट कर दिया जिसमें कहा गया है: "इस अधिनियम में कुछ भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगा।" इस प्रकार विधायी मंशा स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश को चयन बोर्ड की स्वीकृति/अस्वीकृति के अधीन करने का नहीं था। इसलिए, यह मानना संभव नहीं है कि अल्पसंख्यक संस्थान के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता, जब तक कि निरीक्षक/निरीक्षका द्वारा अनुमोदित न हो, जैसा कि धारा 16 जी(3)(ए) में प्रदान किया गया है या चयन बोर्ड, जैसा कि 1982 अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। प्रावधानों के तहत, जैसा कि यह है, यह निष्कर्ष अपरिवर्तनीय है कि अल्पसंख्यक संस्थान के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश के मामले में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता है। [959-डी-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5397/1997

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 26.2.97 को सी.एम.डब्ल्यू.पी संख्या 3945/1989 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न।

अपीलकर्ता की ओर से: पी.पी. राव, वीमय गर्ग, अजय कुमार और डी. गर्ग।

उत्तरदाताओं की ओर से; ओ.पी. शर्मा, नरेश कौशिक, ललिता कौशिक और सुश्री शिल्पा चौहान।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश पटनायक द्वारा सुनाया गया:

यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें निजी उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी जो अपीलकर्ता संस्था के कर्मचारी थे, उन्होंने प्रबंधन द्वारा पारित दिनांक 13.1.1989 के सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी। आक्षेप का एकमात्र आधार यह था कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 16 जी (3) (ए) के तहत आवश्यक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी नहीं थी। लिया गया सेवा समाप्ति का आदेश अमान्य एवं निष्क्रिय है। उच्च न्यायालय ने, उक्त न्यायालय के बहुमत के निर्णय जे.के. कालरा बनाम आर.जे.जी.एस. और अन्य के मामले का अनुसरण करते हुए प्रबंध समिति द्वारा पारित निजी उत्तरदाताओं की सेवाओं की समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया। यह संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 के दायरे में एक अल्पसंख्यक संस्था है, इस पर कोई विवाद नहीं है। इन परिस्थितियों में, विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या अधिनियम की धारा 16 जी(3)(ए) के प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होंगे। कालरा के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने बहुमत के फैसले में, अधिनियम की धारा 16 जी(3)(ए) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधन समिति के निर्णय को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए उक्त प्रावधान के तहत प्राधिकरण के पास पर्याप्त दिशानिर्देश उपलब्ध हैं, और, इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होंगे।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी.पी. राव ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि विनियमन 44 प्रबंधन के निर्णय की मंजूरी या अस्वीकृति के लिए शक्तियों के प्रयोग के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करता है, प्रथम दृष्टया संधारणीय नहीं है क्योंकि उक्त विनियम 44 केवल उस समय अवधि को निर्धारित करता है जिसके भीतर उचित प्राधिकारी को प्रबंधन को अपने निर्णय के बारे में सूचित करना आवश्यक है और आगे प्रावधान है कि यदि पूर्ण कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अनुमोदन अधिकारी को इसे फिर से जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। इसका प्रस्ताव पूर्ण रूप में है। लेकिन ऐसी कोई फुसफुसाहट नहीं है, जो उन मानदंडों को इंगित करती हो, जिन पर मंजूरी देने वाले अधिकारी को अपना निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और इसलिए, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश के रूप में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त विनियमन पर भरोसा करने में गलती की थी। श्री राव ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 16 जी(3) के प्रावधान, जो विद्यालयों के जिला निरीक्षक को अनुमोदन की शक्ति प्रदान करते हैं, अपर्याप्त पाए जाने पर, उत्तर प्रदेश विधायिका ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) बनाया। 1982 अधिनियम के तहत, अनुमोदन की शक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित आयोग अर्थात यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को प्रदान की गई है और किसी भी शिक्षक को तब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा या सेवा से हटाया नहीं जाएगा या रैंक में अवनति नहीं की जाएगी। आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई थी। 1982 के उपरोक्त अधिनियम की धारा 30, अल्पसंख्यक संस्थानों पर उक्त अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट देती है। इसलिए, विधायी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जहां किसी संस्थान के शिक्षक को बर्खास्त किया जाता है, हटाया जाता है या रैंक में अवनति की जाती है, किसी भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से

संबंधित प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होंगे। यह स्थिति होने पर, प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित अल्पसंख्यक संस्थान के कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप करने वाला उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से अरक्षणीय नहीं है और, इसलिए, उक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ओ.पी. शर्मा ने यह तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 16 जी(3)(ए) के प्रावधान संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में हस्तक्षेप करने में प्रबंधन के मनमाने और मनमौजी कृत्यों की जांच करने का एक प्रावधान मात्र है।इस तरह के नियामक उपाय किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं। चूँकि विनियमन अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए मानदंड प्रदान करता है, धारा 16 जी(3)(ए) में निहित उक्त प्रावधान को न तो अनुच्छेद 30 का उल्लंघन माना जा सकता है और न ही यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और इस तरह बहुमत के फैसले का उल्लंघन होता है। कालरा के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कानून बनाया है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। श्री शर्मा के अनुसार, विनियमन दंड प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है और तथ्य यह है कि विनियमन आगे यह भी प्रावधान करता है कि अनुमोदन प्राधिकारी सभी आवश्यक कागजात मांग सकता है जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह संतुष्ट करना है कि दंड देने वाले प्राधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 16 जी (3) (ए) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने फैसले में कालरा के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले में बहुमत के दृष्टिकोण का सही पालन किया है और इसमें कोई खामी नहीं है। श्री शर्मा

ने आगे आग्रह किया कि 1982 के यूपी अधिनियम 5 की धारा 32 स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जहां तक वे इस अधिनियम या के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं किसी शिक्षक के चयन, नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी, निष्कासन, सेवा समाप्ति या रैंक में अवनति के उद्देश्य से उसके तहत बनाए गए नियम या विनियम लागू रहेंगे। मामले के इस दृष्टिकोण में, 'अधिनियम की धारा 16जी(3)(ए) को लागू रखा जाना चाहिए, जो उन संस्थानों के शिक्षक की बर्खास्तगी, निष्कासन या सेवा समाप्ति या रैंक में अवनति के मामलों को नियंत्रित करेगा। जो 1982 एक्ट के दायरे में नहीं आते। परिणामस्वरूप, धारा 30 के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थान को 1982 अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। धारा 16जी(3)(ए) के प्रावधान लागू होने चाहिए और इस तरह पूर्व अनुमोदन के बिना समाप्ति का आदेश, जैसा कि उसमें निहित है, अमान्य माना जाना चाहिए।

परस्पर तर्कों की सटीकता उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उसके तहत बनाए गए नियमों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या पर निर्भर करेगी। और इस संदर्भ में इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए इस स्तर पर कुछ प्रासंगिक प्रावधान निकालना उचित होगा। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 लागू होने से पहले, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा सहित सभी शैक्षणिक संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देखरेख में थे। हालाँकि, यह महसूस किया गया कि संयुक्त प्रांतों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा की प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए और उस उद्देश्य के लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जगह लेने के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना समीचीन होगा। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 अधिनियमित

किया गया जो पूरे उत्तर प्रदेश तक विस्तारित हुआ। धारा 2(बी) में "संस्था" शब्द को एक मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्च माध्यमिक विद्यालय या हाई स्कूल के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है, उसे शामिल किया गया है। किसी संस्था का एक हिस्सा, और जैसा भी मामला हो 'संस्था के प्रमुख' का अर्थ ऐसी संस्था का प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक है। धारा 2(डी) में "मान्यता" शब्द को बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को तैयार करने के उद्देश्य से मान्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 15 बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 16ए के तहत, संस्था के मामलों का प्रबंधन और संचालन करने का अधिकार प्रबंधन समिति के पास निहित है। धारा 16जी में प्रावधान है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कार्यरत व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। धारा 16जी(3)(ए) के तहत निरीक्षक की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भी शिक्षक को सेवामुक्त नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता या रैंक में अवनति नहीं की जा सकती। और धारा 16जी(3)(बी) के तहत निरीक्षक प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित सेवा समाप्ति के नोटिस को मंजूरी या अस्वीकृति या सजा को कम या बढ़ा सकता है या स्वीकृत या अस्वीकार कर सकता है। धारा 16जी(3)(ए) और 16जी(3)(बी) यहां नीचे विस्तार में दी गई हैं:

> "धारा 16जी(3)(ए): निरीक्षक की लिखित पूर्व सहमति के बिना, किसी भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या शिक्षक को पूर्व अनुमोदन के बिना सेवामुक्त या हटाया नहीं जा सकता, रैंक में अवनति नहीं की जा सकती, या वेतन में कोई कमी नहीं की जा सकती, या सेवा

समाप्ति का नोटिस नहीं दिया जा सकता। निरीक्षक का निर्णय विनियमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा।

16 जी(3)(बी): निरीक्षक प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित सेवा समाप्ति के नोटिस को मंजूरी दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है या सजा को कम या बढ़ा सकता है या मंजूरी दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है:

बशर्ते कि सजा के मामलों में, आदेश पारित करने से पहले, निरीक्षक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या शिक्षक को नोटिस प्राप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर कारण बताने का अवसर देगा कि प्रस्तावित सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए।"

उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम सपठित 1958 के संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 ए, 16 बी, 16 सी, 16 ई, 16 एफ और 16 जी के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में नियमों का एक सेट तैयार किया है। मौजूदा मामले में, हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक विनियमन, विनियमन 44 है, जिसे यहां नीचे विस्तार में निकाला गया है:

"विनियम 44: निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक अधिनियम की धारा 16 जी की उपधारा (3)(ए) में उल्लिखित कार्रवाई के लिए पूर्ण रूप में अपने प्रस्ताव की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर प्रबंधन को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा। यदि प्रबंधन से अधूरे कागजात प्राप्त

होते हैं, तो अनुमोदन अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रस्ताव पूर्ण रूप में पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। और इस विनियम में निर्धारित छह सप्ताह की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन अनुमोदनकर्ता अधिकारी को पूर्ण कागजात प्राप्त होंगे। ये कागजात या तो पंजीकृत डाक से या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजे जाएंगे।"

उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और साथ ही इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए चयन बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया। संबंधित विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों का विवरण यहां दिया गया है:

"हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती थी। यह महसूस किया गया कि उक्त अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत शिक्षकों का चयन कभी-कभी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होता था। इसके अलावा चयन का क्षेत्र भी बहुत सीमित था। इससे उपयुक्त शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन करना, तुलनात्मक रूप से निचले पदों पर ऐसे

संस्थानों के लिए सीटी/जेटीसी/बीटीसी ग्रेड में उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन एवं उपलब्ध कराना आवश्यक समझा गया।

(2). इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-जी(3) के तहत, प्रबंधन को अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों में विद्यालयों के जिला निरीक्षकों के अनुमोदन से दंड लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। यह प्रावधान उन मामलों में अपर्याप्त पाया गया जहां प्रबंधन ने बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में अवनति की सजा देने का प्रस्ताव रखा था और इसलिए यह आवश्यक माना गया कि इस शक्ति का प्रयोग आयोग या चयन बोर्डों की पूर्व मंजूरी के अधीन किया जाना चाहिए। जैसा भी मामला हो, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा।

(3). चूँकि राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा था और आयोग तथा चयन बोर्डों के गठन की दृष्टि से तत्काल कार्रवाई आवश्यक समझी गई थी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग तथा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1981) 10 जुलाई, 1980 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।"

उपरोक्त अधिनियम 1982 की धारा 21 शिक्षकों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में अवनति पर प्रतिबंध लगाती है और उपरोक्त प्रावधान का वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिसे इसलिए विस्तार से उद्धृत किया गया है:

"धारा 21: शिक्षकों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में अवनति पर प्रतिबंध:

(1) अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी शिक्षक को बर्खास्त नहीं किया जाएगा या सेवा से हटाया नहीं जाएगा या रैंक में अवनति नहीं की जाएगी और न ही उसका रोजगार कम किया जा सकता है और न ही प्रबंधन द्वारा उसे सेवा से हटाने का नोटिस दिया जा सकता है, बशर्ते कि आयोग की पूर्व मंजूरी प्राप्त न की गई हो।

बशर्ते कि, जहां निरीक्षक की पूर्व मंजूरी के लिए संदर्भ 1 जनवरी 1984 से पहले इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-जी की उप-धारा (3) के अनुसार किया गया था, आयोग की कोई पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होगी और ऐसे संदर्भ को उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम लागू ही नहीं हुआ था।

(2). अनुसूची में निर्दिष्ट शिक्षक के अलावा किसी भी शिक्षक को तब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा या सेवा से हटाया नहीं जाएगा या रैंक में अवनति नहीं की जाएगी और न ही उसकी परिलब्धियां कम की जाएंगी और न ही उसे प्रबंधन द्वारा सेवा से हटाने का नोटिस दिया जाएगा जब तक कि बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की गई हो। बशर्ते कि जहां इस उपधारा के प्रारंभ होने से पहले इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16जी की उपधारा (3) के अनुसार निरीक्षक की पूर्व मंजूरी का संदर्भ दिया गया हो, वहां बोर्ड की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होगी और ऐसे संदर्भ को उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम लागू ही नहीं हुआ था।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी शिक्षक की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में अवनति या सेवा से निष्कासन या परिलब्धियों में कटौती का प्रत्येक आदेश शून्य होगा।

प्रवर्तन की तिथि - धारा 21 की उप-धाराएँ (1) और (3) 1.1.1984 को प्रवर्तन, नोटिस संख्या 6895/XV-7-2(25)83 दिनांक 27-12-83"

उक्त अधिनियम की धारा 30 में प्रावधान है कि अधिनियम की कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। धारा 32, जिस पर उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित श्री शर्मा ने भरोसा किया, यह प्रावधान करती है कि 1921 अधिनियम के वे प्रावधान जो 1982 अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं, यह शिक्षक के चयन, नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी, निष्कासन, सेवा समाप्ति या रैंक में कमी के उद्देश्य से लागू रहेगा। पूर्वोक्त प्रावधान यहां नीचे विस्तार में दिया गया है:

"धारा 32: 1921 के यू.पी.एक्ट II की प्रयोज्यता - इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत नहीं हैं, किसी शिक्षक के चयन, नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी, पद से हटाना रैंक में अवनति के उद्देश्य से लागू रहेंगे।"

उपरोक्त अधिनियम के उद्देश्य और कारण जो पहले उद्धृत किए गए हैं, वे संकेत देंगे कि विधानमंडल ने सोचा था कि 1921 अधिनियम की धारा 16 जी(3)(ए) में निहित प्रावधान अपर्याप्त थे। चूँकि अनुमोदन की शक्ति एक निचले शैक्षिक प्राधिकारी

को प्रदान की गई थी जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक कहा जाता है, इसलिए, यह माना गया कि उक्त शक्ति एक आयोग को प्रदान की जा सकती है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में कार्य कर सकता है और इस प्रकार, माध्यमिक शिक्षा सेवाएँ आयोग अस्तित्व में आया था।

संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 से प्राप्त अधिकारों में किसी संस्था की स्थापना का अधिकार और उसके प्रशासन का अधिकार शामिल है। हालाँकि, अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त प्रशासन का अधिकार कुप्रशासन का अधिकार प्रदान नहीं करेगा, जैसा कि इस न्यायालय ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड बनाम मदरसा हनाफिया, एआईआर (1990) एससी 695 के मामले में अभिनिर्धारित किया था। हालाँकि, अनुच्छेद 30 किसी अल्पसंख्यक के अपने शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाता है, लेकिन उस अधिकार को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य, एआईआर (1974) एससी 1389 के मामले में अभिनिर्धारित किया था और इसके अलावा अधिकार उचित नियमों के अधीन होने चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने ऑल सेंट्स कॉलेज बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एआईआर (1980) एससी 1042 मामले में राष्ट्रीय हित के अनुरूप माना था। इसलिए, संस्थान के शैक्षिक चरित्र और मानक को बनाए रखने के लिए और उस उद्देश्य के लिए योग्यता या सेवा की शर्तें निर्धारित करने, व्यवस्थित, कुशल और सुदृढ़ प्रशासन सुनिश्चित करने और कुप्रशासन को रोकने, दक्षता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए विनियम हमेशा बनाए जा सकते हैं। संस्था और कई अन्य उद्देश्यों के लिए, जो संस्था के लाभ के लिए होगा और जो अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। जब तक नियम अल्पसंख्यक समुदाय के प्रशासन के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, बल्कि संस्था

के लाभ के लिए उस अधिकार के बेहतर और अधिक प्रभावी प्रयोग को सुविधाजनक बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं, तब तक नियम बनाने की हमेशा अनुमति होगी। लेकिन ऐसा नियामक प्रावधान विनियमन नहीं रह जाएगा जहां उपयुक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्ति असंवैधानिक या अनुचित है। विनियम अनुच्छेद 30(1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार को नष्ट करने की सीमा तक भी नहीं जा सकते। शिक्षकों की योग्यता प्राप्त करने या सेवा की शर्तों में अनुशासन बनाए रखने या सेवा समाप्ति आदेश के खिलाफ अपील करने आदि के लिए बनाए गए विनियमन को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत निहित प्रशासन के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी यदि उक्त प्रावधान किसी निकाय को ऐसा अधिकार प्रदान करते हैं जो असंबद्ध या अनुचित है या कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्थान पर भी नियम लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 30(1) के अनुरूप होगा और ऐसा विनियमन उचित होना चाहिए और संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक होना चाहिए और बनाने के लिए अनुकूल होना चाहिए। यह संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम है। जब किसी नियामक उपाय पर हमला किया जाता है, तो न्यायालय के लिए यह पता लगाना अनिवार्य होगा कि क्या प्रावधान वास्तव में संस्थान की उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करने और संस्थान को प्रशासित करने के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार को संरक्षित करने के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करता है। एक अल्पसंख्यक संस्थान, जैसा कि इस न्यायालय ने सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य, एआईआर (1974) एससी 1389 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था, लेकिन यदि ऐसा नियामक प्रावधान अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, जैसा कि फ्रैंक एंथोनी एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर (1987) एससी 311 के मामले में संकेत दिया गया था।

आइए अब इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर नजर डालते हैं। केरल शिक्षा विधेयक, 1957, (मामला 1959 एससीआर, 995) में इस न्यायालय ने माना था कि अपनी पसंद के अल्पसंख्यकों द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का संवैधानिक अधिकार जरूरी नहीं कि राज्य के इस दावे के खिलाफ हो कि यह संस्थानों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम निर्धारित कर सकता है। सिधजभाई सभाई और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य, [1963] 3 एससीआर 837 में, एक संविधान पीठ ने कहा कि निर्देशों की दक्षता, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह के वास्तविक हितों में बनाए गए विनियम निस्संदेह थोपे जा सकते हैं। और ऐसे नियम उस अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं हैं जिसकी गारंटी दी गई है, वे शैक्षिक मामलों में संस्था के उचित कामकाज को सुरक्षित करते हैं। केरल राज्य बनाम वेरी रेव मदर प्रोविंशियल [1971] 1 एससीआर, 734 में यह कहा गया था कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के संबंध में प्रबंधन का अधिकार छीनकर किसी और को नहीं सौंपा जा सकता है, क्योंकि यह गारंटीशुदा अधिकार का अतिक्रमण होगा। लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और यह संस्थान की दक्षता के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम और अनुशासन को विनियमित करने के लिए राज्य के लिए खुला है और शिक्षा या शैक्षिक मानकों और संबद्ध मामलों को विनियमित करने के राज्य के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और अन्य आदि बनाम गुजरात राज्य और अन्य, [1975] 1 एससीआर 173 में, इस न्यायालय ने कहा था: "विनियम जो छात्रों के हितों के लिए कार्य करेंगे, विनियम जो शिक्षकों के हितों के लिए कार्य करेंगे अच्छे प्रशासन में सर्वोपरि महत्व के है। संबद्ध संस्थानों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए शिक्षकों की दक्षता, प्रशासन में अनुशासन और

निष्पक्षता के हित में नियमन आवश्यक हैं। "लिली कुरियन बनाम सीनियर लेविन और अन्य, [1979] एल एससीआर 820 में, न्यायालय ने कहा था: "अल्पसंख्यकों का संरक्षण भारत के संविधान में विश्वास का एक अनुच्छेद है।" अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों की पसंद के संस्थानों के प्रशासन के अधिकार का अर्थ है संस्थान के 'मामलों का प्रबंधन'। हालाँकि, यह अधिकार राज्य की नियामक शक्ति के अधीन है अनुच्छेद 30(1) एक चार्टर औपचारिक-प्रशासन विनियमन नहीं है, ताकि संस्था के लाभ के लिए प्रशासन के अधिकार का बेहतर उपयोग किया जा सके; लेकिन जैसे ही कोई इससे आगे जाता है और जो सच में है उसे लागू करता है, महज एक विनियमन नहीं बल्कि प्रशासन के अधिकार की हानि, अनुच्छेद लागू हो जाता है और आम जनता के हित की वकालत करके हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया जा सकता है; हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाले हित केवल संबंधित अल्पसंख्यक वर्ग के हित हो सकते हैं "फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य, [1987] 1 एससीआर 238 में, न्यायालय दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की वैधता की जांच कर रहा था। धारा 8(1), 8(3), 8(4) और 8(5) में यह माना गया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया है। लेकिन धारा 8(2) में कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के किसी भी कर्मचारी को निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा या रैंक में अवनति नहीं की जाएगी और न ही उसकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी, इसे अल्पसंख्यक के अधिकार में हस्तक्षेप माना गया और इसलिए, उक्त प्रावधान को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं माना गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपरोक्त आदेश एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के संबंध में था। उपरोक्त निर्णय की रूपरेखा यह संकेत दे सकती है कि संस्थानों की उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय करने में सरकार के

लिए कोई बाधा नहीं होगी और इस तरह का उपाय किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 30 में दिए गए अल्पसंख्यकों के अपने संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद, यदि तथाकथित विनियामक उपाय उस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश बताए बिना किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करते हैं, तो उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के संस्थानों के प्रशासन के मामले में उनके अधिकारों में मनमाना हस्तक्षेप होगा। दूसरे शब्दों में, यदि शैक्षिक प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने वाला नियामक प्रावधान अव्यवस्थित और दिशाहीन है और ऐसे किसी दिशानिर्देश का संकेत नहीं देता है जिसके तहत शैक्षिक प्राधिकरण उक्त शक्ति का प्रयोग कर सके, तो ऐसे मामले में, शैक्षिक प्राधिकरण को एक व्यापक शक्ति प्रदान करना उचित नहीं है। प्राधिकरण संस्थान के कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने के मामले में नियोक्ता-अल्पसंख्यक संस्थान के नियंत्रण के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा। इसलिए निर्णय दिया गया, हम उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16जी(3)(ए) में किसी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मचारी की सेवा समाप्ति के आदेश को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के मामले में निरीक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले कोई दिशानिर्देश नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विनियमन 44 दिशानिर्देश प्रदान करता है। उक्त विनियम 44 केवल उस अवधि को निर्धारित करता है जिसके भीतर निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षका को अपने निर्णय के बारे में प्रबंधन को सूचित करना आवश्यक है। और इसके अलावा ऐसे मामले में जहां प्रबंधन से सभी कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं, उक्त निरीक्षक/निरीक्षका प्रबंधन से कागजात मांग सकता है। लेकिन प्रबंधन द्वारा पारित किए गए सेवा समाप्ति आदेश

के अनुमोदन या अस्वीकृति के मामले में शक्ति के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए किसी भी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती है। चूंकि अधिनियम की धारा 16 जी(3)(ए) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कोई उचित दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि निरीक्षक या निरीक्षका पर ऐसी अनियंत्रित शक्ति अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्ति में हस्तक्षेप के समान होगी। अल्पसंख्यक संस्थान की प्रबंध समिति का उसके कर्मचारियों पर नियंत्रण और इस तरह उक्त प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होगा, जैसा कि फ्रैंक एंथोनी के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में बहुमत का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण माना जाना चाहिए और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (सेवा चयन बोर्ड) अधिनियम, 1982 के लागू होने के आधार पर श्री राव का दूसरा कथन भी बहुत प्रभावशाली है। उपरोक्त यू.पी. अधिनियम संख्या 5/82 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 जी(3)(ए) के तहत पहले के प्रावधान अपर्याप्त पाए गए, जहां प्रबंधन ने बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में अवनति की सजा लगाने का प्रस्ताव रखा था। दूसरे शब्दों में, विधायिका ने सोचा कि प्रबंधन द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को मंजूरी या अस्वीकृति की शक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक जैसे निचले शैक्षिक प्राधिकारी के पास नहीं होनी चाहिए लेकिन इसे एक स्वतंत्र आयोग या बोर्ड में निहित किया जाना चाहिए जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में कार्य कर सके। उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (सेवा चयन बोर्ड) अधिनियम, 1982 को अधिनियमित किया है और सेवा चयन बोर्ड को उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करके अस्तित्व में लाया गया है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा

16 जी(3)(ए) के तहत निरीक्षक/निरीक्षिका की शक्ति का अब प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह यू.पी.अधिनियम संख्या 5/82 के प्रावधानों के साथ असंगत होगा और उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए कानून बनाया गया है। धारा 32 उ.प्र. अधिनियम 5/82 प्रावधान करती है:

> *"धारा 32.* 1921 के यू.पी. अधिनियम II की प्रयोज्यता- इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम असंगत नहीं हैं इस अधिनियम के प्रावधान (या इसके तहत बनाए गए नियम) शिक्षक के चयन, नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी, निष्कासन, समाप्ति या रैंक में अवनति के प्रयोजनों के लिए लागू रहेंगे।"

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित श्री शर्मा ने हमारे सामने पुरजोर आग्रह किया कि हालांकि अन्य सभी संस्थानों के लिए, एक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अनुमोदन या अस्वीकृति की शक्ति चयन बोर्ड के पास यू.पी. अधिनियम 5/82 के तहत निहित है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान के संबंध में, यह माना जाना चाहिए कि यह निरीक्षक/निरीक्षका के पास निहित है और यू.पी. अधिनियम 5/1982 के लागू होने के बावजूद, यह शक्ति अभी भी उन अधिकारियों के पास निहित है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जैसा कि हमारे विचार में, किसी अल्पसंख्यक संस्थान के कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश की मंजूरी या अस्वीकृति की शक्ति निरीक्षक/निरीक्षक को और अन्य सभी संस्थानों को सेवा चयन बोर्ड को देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। यू.पी. अधिनियम 5/82 के तहत चयन बोर्ड को अनुमोदन/अस्वीकृति की शक्ति प्रदान करने के बाद, विधायिका ने धारा 30 जोड़कर इसे स्पष्ट कर दिया जिसमें कहा गया है: "इस अधिनियम की

कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (I) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। इस प्रकार विधायी मंशा स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश को चयन बोर्ड की मंजूरी/अस्वीकृति के अधीन करने का नहीं था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारे लिए यह मानना मुश्किल है कि अल्पसंख्यक संस्थान के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता, जब तक कि निरीक्षक/निरीक्षका द्वारा अनुमोदित न हो, जैसा कि धारा 16 जी(3)(ए) में प्रदान किया गया है। या चयन बोर्ड द्वारा, जैसा कि यू.पी. अधिनियम 5/82 के तहत प्रावधान किया गया है। प्रावधानों के तहत, जैसा कि यह निष्कर्ष अपरिवर्तनीय है कि अल्पसंख्यक संस्थान के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश के मामले में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता है। उपरोक्त परिसर में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में बहुमत के दृष्टिकोण को खारिज किया जाता है और इस अपील को स्वीकार किया जाता है दायर की गई रिट याचिका खारिज की जाती है।

वी.एस.एस.

अपील स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।